

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.)

निवासी अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं.136 / प्रा.पत्र / 2019
(GCMS No. 2019 / 00279)

तारीख दायरा
17.12.2019

तारीख निर्णय
28.05.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

- प्रार्थी

बनाम

कजोड़ आ. औंकार जाति मीना,
निवासी ग्राम गुढानाथावतान, तहसील एवं जिला बून्दी

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री शंभूदयाल शर्मा एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 2260/1423 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान आवंटन आदेश दिनांक 25.08.1983 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार अप्रार्थी उक्त आराजी पर गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 136/2019 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2019/00279 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 31.08.2021 को जवाब पेश किया गया। जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किये जाने एवं आवंटन यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।



जिला कलेक्टर; बून्दी

10.13
12.13
3-20
4-20
8.6.20
28.7.
29.9.

बिहार

02/

अप्रार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2022 को प्रार्थना पत्र वावत तहसीलदार बूंदी द्वारा पेश कार्यवाही भिषाद बाहर प्रस्तुत होने से खारिज किये जाने प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण मूल कार्यवाही की सुनवाई के दौरान किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1423/3 (नये नम्बर 2260/1423) रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटी कजोड़ आ10 ओंकार जाति मीना निवासी ग्राम गुलानाथावलान को दिनांक 25.08.1983 को आवंटन किया गया था। आवंटी वर्तमान में गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा चला आ रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन किशत जमा नहीं करवाई जा रही है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी के आवंटन को 38 वर्ष हो चुके है, इतनी लम्बी अवधि के बाद अब आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। आवंटी 10 वर्ष बाद स्वतः ही खातेदार बन चुका है, खातेदारी अधिकार प्रदान करने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का दायित्व राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का होता है। अप्रार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है जिसको आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.08.1983 को भूमि आवंटन किया जाकर आवंटी को दखलनामा दिया गया था। आवंटी द्वारा दिनांक 06.09.83 को पट्टा फीस व किस्म जमा करवा दी गई थी, आवंटी की तरफ कोई राशि बकाया नहीं है। अप्रार्थी को भूमि आवंटन आदेश पूरे कौरम से जारी किया हुआ, इस प्रकार चरण सं.1 मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में आता है। प्रार्थना पत्र के चरण सं.2 में अप्रार्थी के भूमिहीन नहीं होने का तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थी सदभावी कृषक है एवं काशत पर भी निर्भर है, जिससे प्रार्थना पत्र के चरण सं.3 में सदभावी कृषक नहीं होने का तथ्य मिथ्या है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन पत्र में कोई भी गलत शपथ पत्र या सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। किसी प्रकार का धोखा अथवा तथ्यों को छुपाकर आवंटन नहीं किया गया है, जिससे धोखे से व तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाये जाने का आरोप भी मिथ्या है। चरण सं.4 की उपचरण सं.1 में प्रार्थी ने आवंटी का भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने का प्रार्थना पत्र में कथन किया है जो अस्वीकार है। भूमि पर काबिज आवंटी ही काशत करता है और अप्रार्थी वृद्ध होने से स्वयं



आधोली पर भी काशत करवाता है। भूमि पर कब्जा अप्राथी का ही है, उक्त भूमि पर यदि आवंटी का कब्जा नहीं है तो किसका कब्जा है, यह अंकन नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवंटन की किस्म जमा नहीं कराने का अंकन कर आवंटन निरस्तगी का अनुतोष चाहा है जो अस्वीकार है। आवंटन की राशि जमा करवाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा अप्राथी को कोई मांग पत्र जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त आवंटन वैध है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की है। अभिभाषक अप्राथी द्वारा अपने कथन के समर्थन में 2016-17 आरआरटी पेज 304, 2014-15 आरआरटी पेज 731, आरआरडी 2018 पेज 479, आरआरटी 2008(1) पेज 610, 2020 डीएनजे पेज 460 एवं 2018(2) डीएनजे पेज 7741 की नजीरें पेश करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने एवं अप्राथी का आवंटन यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम अप्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत तहसीलदार बूंदी द्वारा पेश कार्यवाही मियाद बाहर प्रस्तुत होने से खारिज किये जाने के संदर्भ में विचार किया गया। अप्राथी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया, जबकि पेशोकार सरकार द्वारा नियम 14(4) की कार्यवाही पर लिमिटेशन लागू नहीं होने बाबत बताया गया। उक्त कार्यवाही पर लिमिटेशन प्रभावी नहीं होने से अप्राथी का प्रार्थना पत्र बाबत लिमिटेशन अस्वीकार किया जाता है। आवंटी कजोड़ आ0 ओंकार जाति मीना निवासी ग्राम गुढानाथावतान को दिनांक 25.08.1983 को किया गया भूमि खसरा सं. 1423/3 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान का आवंटन आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण तैयार कर भिजवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2072-2075 के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी कजोड़ आ0 ओंकार गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रेषित प्रपत्र में बिन्दू संख्या 4 में "(1) आवंटी का कब्जा काशत नहीं की है। (2) आवंटी द्वारा आवंटन किशत जमा नहीं करवाई जा रही है। (3) आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जा रही है।" अंकित किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट पटवारी अनुसार उक्त भूमि खसरा संख्या 2260/1423 रकबा 5 बीघा पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं है और ना ही आवंटन शर्तों की पालना की जा रही है। अप्राथी द्वारा जर्न अभिभाषक दिनांक 31.08.2021 को इस न्यायालय में जवाब पेश किया गया, जिसमें अप्राथी ने आवंटित भूमि पर स्वयं का कब्जा काशत होना बताया है किन्तु इस जवाब के साथ अप्राथी द्वारा न तो स्वयं का शपथपत्र



किया गया और न ही ऐसे दरतावेज पेश किये गये जिससे उक्त भूमि पर आवंटी अप्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त होना साबित हो सके। आवंटन नियम के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। जहां तक अप्रार्थी द्वारा एक वर्ष संवत् 2077 की नकल खसरा गिरदावरी पेश किये जाने का प्रश्न है तो इससे न तो वक्त आवंटन से लेकर अब तक आवंटी द्वारा निरन्तर काश्त किया जाना प्रमाणित है और न ही इससे आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित होता है। जैसा कि आर.बी.जे. 2014 पेज 626 में माना है कि नकल खसरा गिरदावरी से भूमि पर तत्समय काश्त होना प्रकट करता है किन्तु इससे कब्जा प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कजोड़ आ0 ऑंकार जाति मीना निवासी ग्राम गुढानाथावतान को किया गया आवंटन भूमि खसरा संख्या 1423/3 (नये नम्बर 2260/1423) रकबा 5 बीघा वाकेग्राम गुढानाथावतान दिनांक 25.08.1983 एतद्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)

शिला सिसव्दर बून्दी

